वीरांगना अवन्तीबाई लोधी ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज एटा।
Veerangna AvantiBai Lodhi Autonomous State Medical College, Etah
Email ID- gmcetah@gmail.com Website- www.asmcetah.org

पत्रांक–मे0का0एटा0 / 2026 / 811 दिनांक– 08/05/026

नोटिस

साइकिल / वाहन स्टैंड ठेके की नीलामी

इस कार्यालय द्वारा निर्गत विज्ञप्ति संख्या मे0का0एटा / 2026 /811 दिनांक 08-05-26 के क्रम में साईकिल, वाहन स्टैंड (24X7) ठेके की नीलामी वित्तीय वर्ष 2023–24, 2024–25 व 2025–26 के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है। जिसकी अन्तिम तिथि दिनांक 31-05-26 इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण महाविद्यालय की वेबसाइट https:// **www.asmcetah.org** पर उपलब्ध है।

08/05/26
प्रधानाचार्य,
वीरांगना अवंतीबाई लोधी
ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज,
एटा।

Scanned with OKEN Scanner

वीरांगना अवन्तीबाई लोधी ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज सम्बद्ध चिकित्सालय एटा में चिकित्सालय परिसर में वित्तीय वर्ष 2026–27 एवं वाहन स्टैण्ड की नीलामी की शर्तें।

1. नीलामी की सम्पूर्ण प्रक्रिया बोली के माध्यम से वीरांगना अवन्तीबाई लोधी ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज सम्बद्ध चिकित्सालय एटा परिसर में सम्पन्न की जायेगी।
2. जिला चिकित्सालय परिसर में निम्न तीन स्थानों पर अलग-अलग पार्किंग व्यवस्था हेतु एक ही नीलामी बोली लगाई जाएगी–
   - इमरजेन्सी
   - पुराना अस्पताल (MCH WING)
   - नवीन भवन जिला चिकित्सालय
3. नीलामी की प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले इच्छुक बोली दाताओं को दिनांक 11-05-26 से दिनांक 31-05-26 .... के अपराह्न 05:00 बजे तक निम्नांकित अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रतियां एक बन्द लिफाफा में रखकर वीरांगना अवंतीबाई लोधी ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज एटा परिसर में आकर जमा करना होगा।
   - नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले बोलीदाता का पैनकार्ड, आधार कार्ड तथा जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
   - फर्म स्वामी को प्रदत्त वैध चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जो जिलाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो।
   - वित्तीय वर्ष 2023–24, 2024–25 व 2025–26 का ITR जो कि C.A द्वारा प्रमाणित हो।
   - नीलामी बोलीदाता के विरूद्ध किसी भी न्यायालय आदि में कोई वाद (केस) दर्ज/पंजीकृत ना होने एवं काली सूची (Black Listed) में दर्ज ना होने का 100 रू0 के स्टांप पेपर पर शपथ पत्र।
   - किसी भी सरकारी कार्यालय/निगम में वाहन स्टैण्ड ठेका चलाने का न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव (वित्तीय वर्ष 2022–23, 2023–24, एवं 2024–25 के बीच की अवधि) प्रमाण पत्र जो कि सम्बन्धित सरकारी कार्यालय/निगम द्वारा निर्गत किया गया हो, कि स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा।
   - जिलाधिकारी द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाण पत्र जो कि धनराशि रू0 5,00,000.00 (रू0 पांच लाख मात्र) एवं अधिक का हो।
4. दिनांक 31-05-26 के अपराह्न 05:00 बजे तक इच्छुक नीलामी बोली दाताओं द्वारा जमा किये गये समस्त अभिलेखों/प्रपत्रों की जांच की जायेगी एवं जांचोपरान्त दिनांक 06-06-26 को अर्ह नीलामी बोलीदाताओं की सूची कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जायेगी।
5. अर्ह नीलामी बोलीदाता दिनांक 08-06-26 को पूर्वाह्न 10:00 बजे से 12:00 बजे तक तीन स्थानों के लिए एकमुश्त जमानत की धनराशि रू0 40,000.00 (रू0 चालीस हजार मात्र नगद डापट) वीरांगना अवंतीबाई लोधी ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज, सम्बद्ध चिकित्सालय एटा को जमा करेगें। नीलामी/बोली की प्रक्रिया दिनांक 10-06-26 को अपराह्न 03:00 बजे से प्रारम्भ होगी।
6. जिला चिकित्सालय परिसर में दोनों स्थानों की पार्किंग व्यवस्था हेतु न्यूनतम आरक्षित बोली रू0 4,00,000.00 (रू0 चार लाख मात्र) प्रतिवर्ष निविदा स्वीकृत होने की तिथि से निर्धारित की जा रही है। इच्छुक नीलामी बोलीदाता को इस धनराशि से अधिक धनराशि की बोली लगाना अनिवार्य होगा।
7. प्रत्येक अगली बोली न्यूनतम रू0 5,000/– बढ़ाकर की जायेगी।
8. उच्चतम बोली दाता की जमानत की धनराशि रोककर अन्य सभी बोली दाताओं की जमानत धनराशि वापस कर दी जायेगी।
9. उच्चतम बोलीदाता को नीलामी की समाप्ति के पश्चात अधिकतम बोली की 25 प्रतिशत की धनराशि, जमानत धनराशि को सम्मिलित करते हुए तत्काल डिमाण्ड डाफ्ट वीरांगना अवंतीबाई लोधी ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज, सम्बद्ध चिकित्सालय एटा में जमा करनी होगी। ऐसा ना करने पर जमानत धनराशि के रूप में जमा की गई धनराशि शासन के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी।
10. उच्चतम बोली सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात उच्चतम बोली के मूल्य का अवशेष 75 प्रतिशत तथा कुल धनराशि पर निर्धारित GST सहित धनराशि दिनांक 15-06-26 तक वीरांगना अवंतीबाई लोधी ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज, एटा कार्यालय में जमा करना होगा। अन्यथा बोलीदाता द्वारा जमा की गई 25 प्रतिशत जमानत धनराशि जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

Scanned with OKEN Scanner

11. सफल बोलीदाता पर सम्पूर्ण भुगतान ना होने की स्थिति में क्रय समिति की अनुशंसा पर नियमानुसार अग्रिम किस्तो पर पैसा जमा करने का अनुरोध किये जाने का विचार सम्भव हो सकता है।
12. उच्चतम बोलीदाता द्वारा पूर्ण धनराशि जमा कराने के तत्काल बाद ही वाहन पार्किंग की समस्त व्यवस्थाऐं करनी होगी।
13. फर्म द्वारा वाहन स्टैंड की संतोषजनक सेवाओ के दृष्टिगत सेवाप्रदाता फर्म के अनुरोध पर महाविद्यालय की प्रशासनिक एंव क्रय समिति की अनुशंसा पर अगले वित्तीय वर्ष हेतु विचार किया जा सकता है। उक्त हेतु वर्तमान बोली धनराशि पर अतिरिक्त 5 प्रतिशत की धनराशि फर्म द्वारा महाविद्यालय में जमा करनी होगी।
14. वाहन स्टैण्ड की दरें निम्नवत् निर्धारित की जा रही है जो कि सामान्यता अधिकतम 6 घन्टे तक मान्य होगी।

• साइकिल	05:00 रू0
• मोटर साइकिल/स्कूटर मोपेड/ई–रिक्सा/ऑटो	10:00 रू0
• चार पहिया वाहन (कार, जीप आदि)	25:00 रू0

15. नीलामी स्वीकृति के उपरान्त सफल बोलीदाता द्वारा उक्त निर्धारित दरों पर ही शुल्क लिया जायेगा जिसका बोर्ड भी फर्म को पार्किगं स्थल पर प्रदर्शित करना पड़ेगा।
16. नीलामी प्रक्रिया में बोलीदाता द्वारा स्वयं अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में प्रतिभाग करना अनिवार्य होगा।
17. नीलामी के फलस्वरूप सफल बोलीदाता को नवीन भवन जिला चिकित्सालय परिसर में वाहनों को सुरक्षात्मक व व्यवस्थित रूप में खड़ा करने के लिए महाविद्यालय के द्वारा दिये गये स्थानों पर स्वयं व्यवस्था करनी होगी।
18. वाहन स्टैंड का संचालन 24x7 रहेगा। जिसमें पर्याप्त मानव संसाधन की उपलब्धता बोलीदाता फर्म को स्वयं करनी होगी।
19. वाहन स्टैंड एरिया में समुचित साफ–सफाई की व्यवस्था सफल बोलीदाता (फर्म) को करनी होगी। जिससे हॉस्पीटल की सर्विसेज बधित न हो सकें।
20. नीलामी के फलस्वरूप सफल बोलीदाता द्वारा महाविद्यालय के स्टाफ हेतु प्रधानाचार्य के निर्देशों के क्रम में इन्ही तीनों स्थानों पर निःशुल्क पार्किंग व्यवस्था करनी होगी।
21. नीलामी प्रक्रिया को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार प्रधानाचार्य वीरांगना अवंतीबाई लोधी ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज, एटा में निहित होगा।
22. नीलामी के फलस्वरूप सफल बोलीदाता को प्रत्येक पार्किंग स्थानों पर नियम व शर्तो सम्बन्धी बोर्ड लगाया जाना अनिवार्य होगा एवं उक्त बोर्डों पर प्रत्येक वाहन का पार्किंग रेट अंकित होगा। निर्धारित रेट लिस्ट के अलावा अधिक पैसा वसुलने पर सेवाप्रदाता फर्म पर नियमानुसार दण्ड़नात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
23. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में सक्षम न्यायालय जनपद एटा होगा।
24. अनियमित्ता, अनुशासनहीनता अथवा निर्धारित शर्तो का पालन न करने की स्थिति में सम्बिधित फर्म के अनुबन्ध को निरस्त कर दया जायेगा। साथ ही प्रधानाचार्य (हॉस्पीटल प्रशासन) के आदेशों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।

प्रधानाचार्य
वीरांगना अवंतीबाई लोधी
ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज,
एटा।

Scanned with OKEN Scanner